**भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना कमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स भारत एल्युमिनियम कं. लि. द्वारा ग्राम–सलाईगोट, तहसील–पोड़ी उपरोड़ा, जिला–कोरबा (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् चोटिया–2 केप्टिव कोल माइनिंग प्रोजेक्ट– 0.25 एमटीपीए (भूमिगत खदान) से 1.0 एमटीपीए (ओपन कास्ट एवं भूमिगत खदान), में पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई दिनांक 06.01.2018 दिन–शनिवार, समय प्रात–11:00 बजे स्थान–शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, भुजंगकछार, तहसील–पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा के परिसर में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–**

---

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना कमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स भारत एल्युमिनियम कं. लि. द्वारा ग्राम–सलाईगोट, तहसील–पोड़ी उपरोड़ा, जिला–कोरबा (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् चोटिया–2 केप्टिव कोल माइनिंग प्रोजेक्ट– 0.25 एमटीपीए (भूमिगत खदान) से 1.0 एमटीपीए (ओपन कास्ट एवं भूमिगत खदान), में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् अपर कलेक्टर, कोरबा की अध्यक्षता एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा की उपस्थिति में दिनांक 06.01.2018, दिन–शनिवार को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, भुजंगकछार, तहसील–पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा में प्रातः 11.00 बजे लोक सुनवाई प्रारंभ हुई।

सर्वप्रथम श्री अफरोज अली, प्रमुख कोल माईन्स , मेसर्स भारत एल्युमिनियम कं. लि. द्वारा ग्राम–सलाईगोट, तहसील–पोड़ी उपरोड़ा, जिला–कोरबा द्वारा प्रस्तावित परियोजना और पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन (ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट) के कार्यपालिक सार का प्रस्तुतीकरण उपस्थित जन समुदाय के समक्ष करते हुए जन सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

मेसर्स भारत एल्युमिनियम कं. लि. द्वारा ग्राम–सलाईगोट, तहसील–पोड़ी उपरोड़ा, जिला–कोरबा (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् चोटिया–2 केप्टिव कोल माइनिंग प्रोजेक्ट– 0.25 एमटीपीए (भूमिगत खदान) से 1.0 एमटीपीए (ओपन कास्ट एवं भूमिगत खदान), में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् लोक सुनवाई के संबंध में लोक सुनवाई हेतु सूचना प्रकाशन तिथि से दिनांक 05.01.2018 तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा में लिखित में 63 चिंताएँ/ सुझाव/ विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई। दिनांक 06.01.2018 को आयोजित लोक सुनवाई के दौरान लिखित में 07 चिंताएँ/सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुईं। इस प्रकार लिखित में कुल 70 चिंताएँ/सुझाव/विचार /टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों के संबंध में आवेदन प्राप्त हुये। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 170 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक रूप से चिंताएँ/ सुझाव/ विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ अभिव्यक्त की गईं। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका/टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को सुनकर अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान लगभग 700 व्यक्ति उपस्थित थे। जिसमें से 197 व्यक्तियों द्वारा उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर किये गये।

लोक सुनवाई में मौखिक रुप से निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ की गई :–

1. **डॉ. टी.एल निषाद, ग्राम–चोटिया, तहसील–पोड़ी–उपरोड़ा,जिला–कोरबा** – खदान खुलेगी तो आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही बिना पढ़े लिखे व्यक्तियों को भी कंपनी द्वारा रोजगार देना चाहिए। कोयला खदान खुलने से आसपास के गांवों का सामुदायिक विकास होगा। कंपनी को वायु प्रदूषण को रोकने हेतु आवश्यक उपाय करने होंगें। कंपनी द्वारा स्वास्थ्य की व्यवस्था के साथ–साथ पक्की सड़क का निर्माण करना होगा। खदान खुलने का मै समर्थन करता हूँ।

2. **श्री चैतुसिंह, ग्राम–भुजंगकछार, तहसील–पोड़ी–उपरोड़ा,जिला–कोरबा** – खदान खुलने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। खदान खुलने से हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, कंपनी को हमारा ध्यान रखना होगा।

3. **श्री श्री अगस्टिन मसीह, ग्राम–लमना, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा की ओर कंपनी को ध्यान देना होगा। बालको कंपनी द्वारा कुटीर उद्योग की स्थापना की जाये । हम लोग चाहते है कि खदान का विस्तार हो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

4. **श्री जब्बार खान, ग्राम–चोटिया, तहसील–पोड़ी–उपरोड़ा,जिला–कोरबा** – हम चाहते है कि खदान खुले, जिससे आसपास के क्षेत्र का विकास हो। महिलाओं को उनकी योग्यता अनुसार कार्य दिया जावे। धूल–डस्ट प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक उपाय किये जाये।

5. **श्री गमहिन सिंह, ग्राम–सलाईगोट, तहसील–पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – हम जंगली फल खाते है, और हम भी चाहते है कि खदान खुल और हमारा जीवन अच्छे से जी सके।

6. **श्री छत्रपाल सिंह, भूतपूर्व सरपंच, ग्राम–भुजंगकछार, तहसील–पोड़ी–उपरोड़ा, ज़िला–कोरबा** – मैं बालको कंपनी से मांग कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति चोटिया खदान में ठेका श्रमिक के रूप में काम कर रहे है उन्हे नियमित काम दिया जावे। आसपास के गांवो में समूहों के माध्यम से काम कराया जावे, जिससे ग्रामिणों को रोजगार मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य का भी प्रबंध कंपनी द्वारा किया जावे। आसपास के ग्रामीणों को लाभ दिया जावे, स्थानीय जन को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जावे। उक्त शर्तों के साथ हम कोल माईन खुलने का समर्थन करते है।

7. **श्री वकील खान, ग्राम–चोटिया, तहसील–पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – माईन खुलने से क्षेत्र का विकास होगा। माईन जल्द से जल्द खुलना चाहिए। वर्तमान

में जो चोटिया माईन्स बंद है, उससे आसपास के ग्रामीण बेरोजगार हो गये है। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है माईन खुलने से पिछड़ापन दूर होगा।

8. **श्री नोहर सिंह बिंझवार, ग्राम–चोटिया, तहसील–पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – पूर्व में जो चोटिया खदान संचालित थी, उसमें कार्यरत मजदूरों को वेतन मात्र 4000 से 5000 ही दिया जाता है, जो कि अत्यधिक कम है। अब जो खदान खुलने वाली है, उसमें मजदूरों एवं कर्मचारियों को शासन के नियमानुसार मजदूरी एवं वेतन मिलना चाहिए। आसपास के किसानों के लिए कंपनी द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। खदान के आसपास के ग्रामों में आवश्यक सामुदायिक विकास कंपनी को कंराया चाहिए। कंपनी को रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का विकास आवश्यक रूप से करना होगा। उक्त मांगों के साथ हम माईन खुलने का समर्थन करते है।

9. **श्री गोपाल सिंह नायक, ग्राम–सलाईगोट, तहसील–पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – पूर्व से संचालित चोटिया खदान जो प्रकाश इण्डस्ट्रीज द्वारा संचालित थी, उसमें जो मुआवजा किसानों को दिया गया है, उससे डबल मुआवजा किसानों को मिले, तभी खदान खुलना चाहिए।

10. **श्री सीताराम, ग्राम–भुजंगकछार, तहसील–पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मैं सलाईगोंट/भुजंगकछार का किसान हूँ, खदाना खुलने से जंगली पेड़–पौधों के साथ फल समाप्त हो जायेंगे, तो हम कैसी जीवन यापन करेंगे। खदान प्रंबंधन को हमारे लिए रोजगार एवं सभी सुविधा देना चाहिए । बूढे लोगों को पेंशन देना चाहिए।

11. **श्री मनप्रताप सिंह, ग्राम–सलाईगोंट, तहसील–पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – 1 अप्रैल 2015 को हमें नौकारी मिली है, किन्तु हम बालको के दिये जा रहे वेतन के हिसाब से वेतन मांग रहे है। हमें पूर्व कंपनी की भांति वेतन मिल रहा है। गांव में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए एवं शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। हम खदान खुलने का समर्थन करते है।

12. **श्री श्री रतीराम मिंज, सरपंज ग्राम पंचायत– घुंचापुर, तहसील–पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – हम लोग एक प्रस्ताव लेकर आए है। बालको को उसको स्वीकार करना होगा। रोजगार देना होगा, चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करानी होगी, पानी की सुविधा आसपास के क्षेत्र में किया जावे, क्योंकि खदान के संचालन से जल का स्तर नीचे जायेगा। गरीब बूढ़ों को पेंशन मिलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक कार्यक्रमों में कंपनी को सहयोग करना चाहिए । कंपनी ग्राम पंचायत को धनराशि दे जिससे ग्राम पंचायतों का विकास हो सके। हम खदान खुलने का समर्थन करते है।

13. **श्री सुखराज सिंह ग्राम– हरदेवा, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – जंगल में खदान खुलेगा तो हमारा विकास होगा और रोजगार के अवसर पैदा होगें, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। खदान खुलने से आसपास के क्षेत्र के आमदनी में वृद्धि होगी, खदान खुलने का मै समर्थन करता हूँ। आसपास के ग्रामीणों को आज अपना पक्ष रखना चाहिए। इस मंच से अधिकारियों को अवगत कराया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में पैसों की आवश्यकता होती है। खदान खुलने से पैसे की आवक होगी तो विकास होगा। खदान खुलने का हम समर्थ करते है।

14. **श्री गुलाब सिंह, ग्राम–भुजंगकछार, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – हमारी मांगे अगर खदान प्रबंधन द्वारा माना जाता है तो हमें खदान खेलने से कोई आपत्ति नहीं है।

15. **श्री दीनदयाल शर्मा ग्राम–भुजंगकछार, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – उद्योग एवं खदान के आने से धुंआ–धूल से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। किन्तु माईन प्रबंधन को उक्त धुंआ–धूल को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। खेल के मैदान, ऑगनबाड़ी भवन , स्कूल की बाउण्ड्री आदि का निर्माण कराना होगा। अगर कंपनी हमारी मांगे मानती है तो हम खदान खुलने का समर्थन करते है।

16. **श्री दुबराज सिंह, लालपुर, जिला–कोरबा** – प्रबंधन से हम नौकरी चाहते है।

17. **श्री फत्ते सिंह, ग्राम–भुजंगकछार, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा –** हमारे पेंशन में वृद्धि की जावे अथवा रोजगार दिया जावे।

18. **श्री राधेश्याम जायसवाल, महांत्री भारतीय मजदूर संघ,** – भारत एल्युमिनियम कंपनी द्वारा आज दिनांक रोड का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। पुरानी रोड से ग्रामीणों का आवागमन होता है। आसपास के ग्रामीणों को कंपनी द्वारा धोखा दिया गया है। बालको प्रबंधन द्वारा ठेका श्रमिकों को दिया जाने वाला वेतन बहुत कम है। अतः ठेमाश्रमिकों को नियमित कर्मचारियों की भांति वेतन दिया जावे। मै इस लोक सुनवाइ का मैं विराध करता हूॅ।

19. **श्री चन्द्र प्रताप उदय, ग्राम– परला, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – बालको द्वारा कोई भी काम अच्छे से नहीं किया जाता है।चोटिया बस स्टैण्ड से ग्राम–सलाईगोट तक पक्की रोड का निर्माण हो, ग्राम सालाईगोंट में पानी की व्यवस्था की जावे क्योंकि खदान खुलने से जलस्तर नीचे चला जाता है। शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था की जानी चाहिए। आसपास के ग्रामीणों को रोजगार दिया जाना चाहिए । हम इस लोकसुनवाई का विरोध करते है।

20. **श्रीमती कमलावती, ग्राम–घूंचापुर, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा –** अनपढ महिलाओं का मुख्य रोजगार जंगली फल एवं पुटु है, जो के समाप्त हो जाएगा, जिससे हम लोग बेराजगार हो जायेंगे। खदान खुलना चाहिए हम उसका समर्थ करते है।

21. **श्रीमति सुखमतिया, ग्राम– घूंचापुर, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुले हमें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मूलभूति सुविधा खदान प्रंबंधन उपलब्ध करावे।

22. **श्री निर्मलदास मानिकपुरी, विधायक प्रतिनिधि तानाखार,जिला–कोरबा**– आसपास के ग्रामीणों को ही प्राथमिकता दीजावे,चाहे किसी भी प्रकार की सुविधा हो । वर्तमान में बालको प्रबंधन द्वारा आसपास केग्रामीणों को सुविधा नहीं दी जा रही है। आपसास के ग्रामीणोंको प्राथमिकता दिये जाने के बाद ही खदान खुलना चाहिए अन्यथा नहीं।

23. **श्री जगदीश चन्दमणि, ग्राम– बनिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – पूर्व में खदान का संचालन प्रकाश इण्डस्ट्री, चांपा द्वारा किया गया, किन्तु किसी भी प्रकार का विकास आसपास के क्षेत्र में नहीं किया गया। आसपास के ग्रामोंका विकास बालको द्वारा किया जावे। जो भी काम हो गोपनीय नहीं बल्कि खुल में होना चाहिए।

24. **श्री रविप्रताप सिंह, ग्राम–बनिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – कंपनी को हमारे क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं में सुधार लाना होगा। बूढ़े एवं बच्चों के जीवन में सुधार लाना होगा। काला हीरा हमारे अंचल में है। इसको निकाले किन्तु हम ग्रामीणों के विकास में ध्यान देना होगा। पर्यावरण में सुधार लाना होगा। हम खदान खलने का समर्थन करते है।

25. **श्री बालेश्वर सिंह, ग्राम–बनिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। प्रंबंधन को आसपास के क्षेत्र में रोजगार एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करें। हमें खदान खुलने से कोई आपत्ति नहीं है।

26. **श्री दुर्गा प्रसाद, ग्राम–लालपुर, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान प्रबंधन को आसपास के क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करना होगा। सामुदायिक विकास करना होगा, रोजगार देना होगा।

27. **श्री अमोल यादव, ग्राम–सलाईगोट, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मै गरीब आदमी हूँ मुझे भी पेंशन दिया जावे।

28. **श्री बाबा खान, ग्राम–चोटिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मूलभूमि सुविधा एवं सामुदायिक सुविधा आसपास के क्षेत्र में होना चाहिए। साथ ही पर्यावरण का ध्यान रखना होगा। खदान खुलना चाहिए, जिससे आसपास के लोगों को रोजगार मिल सकेगा। पानी, बिजली, स्वास्थ्य, रोड , शिक्षा एवं पेंशन की व्यवस्था होना चाहिए। हमें अपनी बात बालकों प्रबंधन के समक्ष रखना होगा।

29. **श्री गोपाल सिंह मरावी, ग्राम–बनिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलने का मैं समर्थन करता हूँ।

30. **श्री अशोक यादव, पूर्वांचल विकास समिति, कोरबा** – हम खदान खुलने का विरोध करते है। क्योंकि भारत एल्युमिनियम कंपनी द्वारा ठेका श्रमिकों का ध्यान नहीं दिया जाता है। कोरबा में संचालित संयंत्र से राखड उत्सर्जन, कोरबा शहर एवं आसपास होता है। आज तक कोरबा में राखडबांध नहीं बनाया गया है। जब प्रबंधन द्वारा कोरबा का विकास नहीं किया गया तो वह ग्रामीणों का क्या विकास करेगा।

31. **श्री सुरतन सिह, ग्राम–भुजंगकछार, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – पानी की व्यवस्था करें, बागबहरा के पास में मंदिर बनाया जावे।

32. **श्री दशरथ राज अघरिया, ग्राम– भुजंगकछार, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – पानी की व्यवस्था की जावे, पेंशन की व्यवस्था की जावे, सामाजिक कार्यों में उद्योग प्रबंधन द्वारा सहयोग प्रदान किया जावे।

33. **श्री संतोष कुमार महंत, ग्राम–बनिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – ग्राम बनिया के हेण्डपम्प का पानी लाल है। उसे ठीक किया जावे। सभी कर्मचारियों को वेतन बालको कर्मचारियों के समान दिया जावे।

34. **श्री गोपाल सिंह ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान प्रबंधन सभी को रोजगार प्रदान करें।

35. **श्री फुलेश्वर दास, ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – बालको प्रबंधन द्वारा मात्र आश्वासन दिया जाता है। कर्मचारियों को वेतन मात्र 6000 रूपये दिया जाता हैं। चोटिया खदान में कार्यरत कर्मचारियों को ठेका श्रमिकों से कम वेतन दिया जाता है। प्रकाश इण्डस्ट्रीज द्वारा जो वेतन दिया जाता था वही वेतन बालको कंपनी द्वारा भी दिया जा रहा है। बालाको कंपनी द्वारा वेतन में कोई वृद्धि नही की गई है। हम लोक सुनवाई का विरोध करते है।

36. **श्री प्रीतम दास, ग्राम–पोड़ीखुर्द, जिला–कोरबा** – चोटिया खदान के पानी से आसपास के ग्रामीणों की फसल नष्ट हो गई है। किन्तुखन प्रबंधन द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

37. **श्रीमति रामेश्वरी देवी कंवर, पूर्व संरपंच पोड़ीखुर्द, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – प्रबंधन को आसपास के ग्रामों का सहयोग करना चाहिए।

38. **श्रीमति राजकुमारी, ग्राम–सलाईगोट, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – हमको समूह के तहत सहायता दी जावें।

39. **श्रीमति कबूतरी बाई, ग्राम–तुरीमाल, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – हमको कंपनी द्वारा लाभ मिलना चाहिए।

40. **श्री परविन्दर गिल, रायपुर** – खदान की अधिकतम गहराई का उल्लेख एवं हसदेव नदी पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख ई.आई.ए. रिपोर्ट में नहीं किया गया है। कोल खनन पश्चात अनुपयोगी माईन्स में फ्लाई एश भराव के पश्चात होने वाले प्रभावों का उल्लेख स्पष्ट नहीं है। कोल माईन की कुल क्षमता 7.6 मिलियन टन है, माईन्स से निकलने वाले कोयले को बाहरी मार्केट से आसानी से क्रय किया जा सकता था। भारत एल्युमिनियम कंपनी लि. कोरबा के विद्युत संयंत्र से निकलने वाले फ्लाई एश का भराव कोयला निकालन के पश्चात माईन में किया जावेगा।

41. **श्रीमति कलमीबाई ग्राम–तुरीमल, ग्राम–तुरीमाल, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – पानी की व्यवस्था आसपास के क्षेत्र में होनी चाहिए।

42. **श्रीमति रामबाई ग्राम–तुरीमल, ग्राम–तुरीमाल, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – पानी की व्यवस्था के साथ रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए।

43. **श्रीमति फूलकुंवर ,ग्राम–सलाईगोंट, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – प्रबंधन हमारी सभी मांगे तो खदान खुलना चाहिए।

44. **श्रीमति मंगलीबाई ग्राम–सलाईगोंट, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – प्रबंधन हमारी सभी मांगे तो खदान खुलना चाहिए।

45. **श्रीमति चुनरीबाई ग्राम–सलाईगोंट, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान में पानी नहीं जाना चाहिए।

46. **श्रीमति श्यामबाई ग्राम–भुजंगकछार, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – हमारी मांगे मानी जावे।

47. **श्रीमति मंगलीबाई ग्राम–सलाईगोंट, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – प्रबंधन हमारी सभी मांगे तो खदान खुलना चाहिए।

48. **श्री विश्वनाथ पाण्डो ग्राम–सलाईगोंट, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – पानी का साधन आसपास के ग्राम में उपलब्ध नहीं है। खदान खुलने से हमारे क्षेत्र के जंगल नष्ट होंगे।

49. **श्री रामलाल सिंह करियाम, सरगुजा,** – ई.आई.ए. रिपोर्ट में बांगोबांध के बारे में क्यों जिक्र नहीं किया गया है। बांगोबांध यहां से 1 कि.मी. की दूरी पर है। खदान खुलने से यहां के जंगली जानवर विलुप्त हो जायेंगे। हम खदान खुलने का पुरजोर विरोध करते है। जंगल के बर्बाद होने से प्राकृतिक आपदा हो सकती है।

50. **श्रीमति सुकरिया बाई ग्राम–सलाईगोंट, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – रोजगार एवं सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जावें।

51. **श्री हसन अली , कटघोरा, जिला–कोरबा** – कम्पनी द्वारा अपने 10 आदमियों को भेजकर आसपास के ग्रामों को यह समझाया जाता है कि लोक सुनवाई में दिनांक

आप पानी, बिजली, सड़क की मांग करना। मेरे मतानुसार लोक सुनवाइ का बैनर ही गलत है। आज पर्यावरण प्रदूषण से ही ओजोन परत में छेद हो गई है। खदान खुलना चाहिए किन्तु पर्यावरण को सुरक्षित करना होगा। बिना पर्यावरण को सुरक्षित किये खदान का हम पूर्ण रूप से विरोध करते है। जंगल रहेगा तो हम उसके फल एवं उससे होने वाले आमदनी से अपना जीवन यापन कर लेगें। अगर आज के दिनों में जंगन नहीं काटे जायेंगे तो जंगल के जानवर बाहर नहीं आयेंगे। खदान प्रदूषण नहीं कर रहा है। हमारी गरीबी एवं हमारी अज्ञानता प्रदूषण कर रही है। हम इस खदान का विरोध कर रहे है।

52. **श्रीमति बुधकुंवर कंवर, ग्राम–सलाईगोंट, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – हमें पेंशन दी जावें।

53. **श्री उजियार सिंह उइके, ग्राम–मदनपुर, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – पर्यावरणीय स्वीकृति की लोक सुनवाई का मैं विरोध करता हूॅ। प्रस्तावित खदान नदी के किनारे है। इसे जंगल से विस्थापित नहीं होना चाहिए।

54. **श्रीमति मुनकीबाई ग्राम–सलाईगोंट, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलेगा तो हम कहां जायेंगे, जंगली फल से अपना जीवन यापन करते है। पेंशन एवं नौकरी प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए।

55. **श्री जगन्नाथ बड़ा, ग्राम–मदनपुर, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मैं इस जनसुनवाई का मैं विरोध करता हूॅ। अगर पेड़ कट जायेंग तो हम लोगों को परेसानी होगी।

56. **श्रीमति बसंती दीवान ग्राम–मोरगा, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मैं इस जनसुनवाई का पूर्ण विरोध करती हूॅ। कोयला खदान से हमे न तो सही हवा मिल रही है और न ही शुद्ध पानी मिल रहा है । प्रकृति से जो भी हमें दिया है वह ठीक है। कंपनी वाले कहते है कि आसपास के क्षेत्र में विकास होगा किन्तु विकास कहीं नहीं होता है। कोयला खदान से ग्रामीणों को कोई फायदा नहीं है।

पूंजीपतियों के लिये ग्रामीणों की बलि क्यों दी जा रही है। हम अपनी जमीन नहीं देंगें।

57. **श्रीमति तनकुंवर ग्राम–सलाईगोंट, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलन के बाद हमारा जीवन यापन कैसे होगा। हम लोगों को रोजगार मिलना चाहिए । हमारे बच्चों को नौकरी दी जावे।

58. **श्री उमेश्वर सिंह ग्राम पंचायत –मदनपुर, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मै इस जन सुनवाई का विरोध करता हूॅ। पानी की समस्या है । खदान खुलने से हमें परेशानी होगी। पानी नहीं है, जमीन नहीं है और क्या विकास हुआ है, बतावें। मुआवजा नहीं मिला है लाईट नहीं है, खदान नहीं खुलना चाहिए। घर, पानी की जानकारी नहीं दी गई है। खदान खुलने से जीव–जन्तुओं पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। खदान के आसपास घने जंगल है। खदान खुलने से पर्यावरण पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। ओपन कास्ट एवं भूमित खदान की गहराई क्या होगी। ई.आई. ए. रिपोर्ट में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है एवं ओपन कास्ट की गहराई क्या बांगों बांध के संबंध में रिपोर्ट में कही भी उल्लेख नहीं किया गया है। खदान खुलने से बांगों बांध पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। ईआईए रिपोर्ट में सारे तथ्य छिपाये गये है। गलत तरीके से ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाया गया है। आसपास के ग्रामीण के संस्कृति का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। आसपास के ग्रामीण जंगल के फलों पर आश्रित है।

59. **श्रीमति प्रमीला ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – हम ग्रामीणों को लाभ मिलना चाहिए।

60. **श्रीमति जयकुंवर ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – हमें खदान प्रबंधन से सहायता चाहिए।

61. **श्रीमति सिलमिना लकड़ा, ग्राम–मोरबा, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – इस लोक सुनवाई का हम विरोध करते है।

62. **श्रीमति उर्मिलाबाई ग्राम–लाद तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – हमें पानी, बिजली, शिक्षा एवं रोजगार चाहिए।

63. **श्री फूलेश्वर प्रसाद सुरजईया, ग्राम–गजरा, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – कोयले से ज्यादा कीमत तेंदूपत्ता का है। कोयले को निकालने से यहां का क्षेत्र तहस–नहस हो जायेगा। खदान से पूरा जंगल काट दिया जावेगा। बालको कंपनी सभी नियमों के ताक में रखकर के अपना का कर रही है। कोरबा में संचालित उद्योगों का दूषित पानी आसपास के क्षेत्र को प्रदूषित कर रहा है।

64. **श्री संतदेवन दास जी ग्राम–चोटिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – इसी जंगल में ही अपना जीवन हम लोग बितायें है। आज रोड होने के कारण ही आम जनता का विकास हो रहा है। खदन को खुलाना चाहिए । हम समर्थन करते हैं हमें नौकारी दी जावे, यही हमारी मांग है।

65. **श्रीमति हिमांशु सिंह सरंपज, ग्राम–लाइद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मैं ग्राम में कोयला खदान खुलने का मैं समर्थन करती हूॅ।

66. **श्रीमति कीर्तनबाई ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मैं ग्राम में कोयला खदान खुलने का मैं समर्थन करती हूॅ।

67. **श्रीमति विमला देवी ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मैं ग्राम में कोयला खदान खुलने का मैं समर्थन करती हूॅ।

68. **श्रीमति शांतिबाई ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मैं ग्राम में कोयला खदान खुलने का मैं समर्थन करती हूॅ।

69. **श्री लल्ला ठाकुर, कुसमुण्डा जिला–कोरबा** – खदान खोलिए किन्तु रोजगार दीजिये। हमारे छ.ग. के लोगों को नौकरी नहीं मिलती है जब आप मशीन से कार्य करते है तो हम लोगों को क्या रोजगार देंगे। खदान के 10 कि.मी. दूरी तक मुफ्त में इलाज करया जावे। आप बताये की इन ग्रामीणों काक्या करेंगे। रोजगार एवं मुआवजा कब मिलेगा । इसकी भी जानकारी दी जावे। जंगली जानवरों से हुए नुकसान का सही मुआवजा नहीं दिया जाता है। हम भी चाहते है हम ग्रामीणों के

लोग डॉक्टर, इंजीनियर बने। आप उद्योग स्थापित किये किन्तु समुदायिक विकास नहीं किये जाते है। पर्यावरण तो दूषित हो ही रहा है।

70. **श्री बिन्दु मरावी ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – हमारे स्व सहायता समूह को सहायता प्रदान की जावे। मैं खदान खुलने का समर्थन करती हूँ।

71. **श्रीमति रामकुमारी, ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – हमारे स्व सहायता समूह को सहायता प्रदान की जावे। मैं खदान खुलने का समर्थन करती हूँ।

72. **डॉ. इस्तियाक खान, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जिला–कोरबा** – क्या एक भी सराई का पेड़ प्रबंधन रोपित करेगा। प्रबंधन ऐसे प्रजाति के पौधों को रोपित करता है जैसे– गुलमोहर, करंज आदि। जिनसे कोई आय ग्रामीणों को नहीं हो सकती है। अगर खदान के कारण पेड़ कटते रहेंगे तो लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो जायेगा।

73. **श्रीमति मिथुनीबाई ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मैं खदान खुलने का समर्थन करती हूँ।

74. **श्री प्रकाश कुमार कोर्राम, दीपका, जिला–कोरबा** – मै इस जनसुनवाई का विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ । वहां पर कोल खदानों द्वारा पर्यावरण नियमों की उल्लंघन किया जाता है। फ्लाई एश का उपयोग/भराव कोयला निकालने के बाद होगा किन्तु उपयोग/भराव से क्या दुष्प्रभाव होंगे इसकी जानकारी प्रदाय नहीं की गई है।

75. **श्रीमति जागेश्वरी बाई, ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलना चाहिए।

76. **श्रीमति गायत्री देवी, ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलना चाहिए।

77. **श्रीमति रामकुमारी, ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलना चाहिए।

78. **श्री लाल बहादुर सिंह, ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलने से पर्यावरण की क्षति होगी किन्तु सामाजिक उत्तर दायित्वों के काम होने से खदान खुलना चाहिए।

79. **श्रीमति मंजू , ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलना चाहिए।

80. **श्रीमति सुमित्रा बाई, ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलना चाहिए।

81. **श्रीमति अमृतबाई, ग्राम–पोड़ी–खुर्द, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलना चाहिए।

82. **श्री बसंत लाल, ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान नहीं खुलना चाहिए।

83. **श्रीमति जयाबाई, ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान नहीं खुलना चाहिए।

84. **श्री सतीश कुमार , दीपका, जिला–कोरबा** – मैं इस खदान का विरोध करता हूँ।

85. **श्रीमति सरोजनी देवी, ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – कंपनी सभी प्रकार का विकास करें एवं रोजगार दे।

86. **श्री अली अहमद, ग्रम–मोरगा ,तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मैं इस जन सुनवाई का विरोध करता हूँ। इस जनसुनवाई के समर्थन के लिए कंपनी द्वारा कंबल बांटा गया है। यह जन सुनवाई सैटिंग पर हो रही है। अभी जो पेड़ लगे हुए है उन पेड़ों जैसे पेड़ लग नहीं सकते है। आज चोटिया में पानी की कितनी किल्लत है, जाकर के वहां देखा जा सकता है। मैं इस खदान के पक्ष में नहीं हूँ।

87. **श्रीमति सरिता देवी, ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलना चाहिए।

88. **श्री प्रवीण कुमार, ग्राम–मोरगा, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मैं इस खदान का विरोध करता हूँ।

89. **श्रीमति नंदिनी कुमारी, ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान से प्रदूषण भी होगा साथ ही विकास भी होगा।

90. **श्रीमति फुलेश्वरी यादव, ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलना चाहिए।

91. **श्री मनोज कुमार लकड़ा ग्राम–खिरती, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलेगी तो जंगल कटेंगे। जिससे हाथी गांव वालों को प्रभावित करेंगे। हम इस खदान का विरोध करते है।

92. **श्रीमति सकुन , ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलना चाहिए।

93. **श्रीमति गेंदाबाई, ग्राम–कोईलारगडरा, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – पानी की सुविधा, रोड की सुविधा उपलब्ध करावें, खदान नहीं खुलना चाहिए, स्कूल में शिक्षक नहीं है।

94. **श्रीमति कौशिल्या बाई, ग्राम–सलाइगोट, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – हम खदान खुलने का विरोध करते है।

95. **श्री उमेन्द्र सिंह नेताम, ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – लाद, घूंचापुर एवं सलाइगोंट का एक ही जंगल है अगर जंगल उजड़ जायेगा तो हम लोग कहां जायेंगें।

96. **श्रीमति पुनिया बाई, ग्राम–छिंदिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलना चाहिए।

97. **श्री ईतवार, ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलना चाहिए।

98. **श्रीमति अमृतबाई, ग्राम–पोड़ीखुर्द, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलना चाहिए।

99. **श्री सम्मत लाल, ग्राम–घूंचापुर, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान के संबंध में कुछ नहीं बोलना है।

100. **श्रीमति फूलबाई, ग्राम–सखोदा, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलना चाहिए।

101. **श्रीमति ललीता बाई, ग्राम–सखोदा, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान नहीं खुलना चाहिए।

102. **श्रीमति जानकी बाई राजपूत , ग्राम–रोहिदिन, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलने से धूल–डस्ट रोकने हेतु व्यवस्था की जाती है तो खदान खुलना चाहिए।

103. **श्री चरण सिंह, ग्राम–सलईगोट, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – बालको कहता है कुछ, करता है कुछ है अतः खदान नहीं खुलना चाहिए।

104. **श्री रामचन्द्र, ग्राम–भुजंगकछार, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – पहले प्राथमिकता आसपास के गांवों को मिलना चाहिए , दूर के गांव को बाद में।

105. **श्री महिपाल सिंह, ग्राम–सलाईगोट, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – ग्रामीण की मांग प्रूरी की जावे, तभी खदान खोली जावें।

106. **श्री पुरषोत्तम, ग्राम–भुजंगकछार, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मै खदान नहीं खुलने दूंगा। मैं इस खदान का विराध करता हूॅ। हम इसी जंगल से अपना जीवन यापन कर रहे है।

107. **माननीय श्री रामदयाल उइके, विधायक पाली–तानाखार जिला–कोरबा** – कोरबा जिले से सबसे ज्यादा पैसा शासन को जाता है। पूर्व में संचालित जो खदान थी उसके लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा ग्रामीणों को दिलवाने के लिए हमें सड़क पर आंदोलन करना पड़ा। बिना पर्यावरण परमीशन के हजारों वृक्ष काटे गये थे। सबसे ज्यादा पैसा आदिवासी अर्जित करते हैं तो वन उपज से । जनसुनवाई

स्थल को तार से क्यो घेरा गया है। क्या यहां के लोग झगड़ा करेंगें। क्या लाठी लेकर आयें है। बालकों कंपनी के लोग अपने स्वार्थ के लिए कंबल बांट रहे है। क्या बालको कंपनी इनकी बसाहट एवं पट्टा की व्यवस्था करेगी। चोटिया खदान जब प्रारंभ हुई तो कितने लोगों को रोजगार मिला, अब कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कंपनी यह बतावे। अगर आप खदान खोलना चाहते है तो आप कब पानी की व्यवस्था करेंगें, उनके बसाहट एवं मकान की कब व्यवस्था करेंगे। जमीन के बदले जमीन एवं मुआवजा देना होगा। अगर बल पूर्वक खदान खोलने की कोशिश की गई तो मैं 100 पंचायत के लोगों को रोड में खड़ा करूंगा। बालको कंपनी क्या 100 बिस्तर युक्त अस्पताल चोटिया एवं प्रभावित क्षेत्र में बना सकता है। संबंधित ग्राम पंचायतों को जानकारी देना चाहिए कि किस गांव की कितनी जमीन है। बालको प्रबंधन द्वारा पूर्व में जो अस्पताल संचालित है उसमें एक भी डॉक्टर नहीं है। इस खदान का मै पूरी तरह से विरोध करता हूँ। खदान से प्रभावित पेड़ों का पैसा आज दिनांक तक किसानों को नहीं दिया गया। बेजा कब्जा वालों को भी बसाहट देना होगा एवं प्रभावित किसानों को नौकारी।

108. **श्री सर्वजीत सिंह, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत, ग्राम–पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – बालको प्रबंधन द्वारा चोटिया–1 का अधिग्रहण कर लाखों टन कोयला निकाला। प्रबंधन ने आसपास के क्षेत्र का कितना विकास किया। कितना पौधा–रोपण किया और किस प्रजाति का किया, आसपास के ग्रामीणों के रोजगार के लिए क्या योजना है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी की क्या व्यवस्था किया है प्रबंधन पहले ग्रामीणों को बताये। मैं खदान खुलने का विरोध करता हूँ।

109. **श्री अस्थिर दास दीवान, ग्राम–चोटिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – हमें बहुत खुशी हुई थी जब बालको द्वारा प्रकाश इण्डस्ट्रीज से जमीन एवं खदान का अधिग्रहण किया , किन्तु बालको प्रबंधन से ग्रामीणों को लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आसपास क्षेत्र के दलालों के द्वारा खदान चलाना

चाहते है तो खदान नहीं चलेगी। आसपास के क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करनी होगी, बालको कर्मचारियों के अनुसार खदान कर्मचारियों को वेतन दिया जावे।

110. **श्री चन्द्रपाल सिंह, जनपद सदस्य, कोरबी क्षेत्र, ग्राम–लाद, तहसील–पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – आज जो जन सुनवाई हो रही है उसमें आसपास के नागरिक उपस्थित है। कुछ हमारी शर्तें है जैसे– पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल आदि जो अत्यन्त गरीब बच्चे है उन्हे प्रबंधन गोद ले, जो बूढे है उनकी पेंशन की व्यवस्था प्रबंधन द्वारा की जावे। खदान में कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों को नियमित किया जावे एवं बालको प्रबंधन के अनुसार वेतन दिया जावे। उपरोक्त शर्तों के आधार पर खदान खुलने का मै समर्थन करता हूँ।

111. **श्री नरेश कुमार देवांगन, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासचिव, जिला–कोरबा** – हम लोग श्रमिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करते है, जब कोई उद्योग एवं खदान आती है तो उस समय प्रबंधन द्वारा बहुत वादे किये जाते है। किन्तु बाद में उनको पूरा नहीं किया जाता है। हम लोग अपनी मांग अपनी युनियन के माध्यम से रखते हैं। मैं उद्योग एवं खदान का विरोधी नहीं हूँ। जहॉ चोटिया2 खदान का संचालन होना है। वहॉ 21 लोग अस्थाई है। उन्हे स्थायी किया जावे। आसपास के क्षेत्र में इतना अधिक पौधा रोपण करें कि आपका पौधा रोपण में नाम हो। आसपास के ग्रामीणों को रोजगार दिया जावे। पेय जल की जो पुरानी योजना है उसे बालको प्रबंधन तत्काल करावे। इस क्षेत्र के विकास के लिए खदान खुलना चाहिए। जो राजस्व खनिज से प्राप्त होता है, उसे इस क्षेंत्र के विकास में लगाया जावे।

112. **श्रीमती किरण मरकाम, जनपद अध्यक्ष, पोड़ी–उपरोड़ा जिला–कोरबा** – जब उद्योग खोलना होता है, तब कंपनी जो वादे करती है उसे पूरा नहीं करती है। खदान खुलना चाहिए लेकिन रोजगार आसपास के ग्रामीणों को मिलना चाहिए। आज जो वेतन बालको द्वारा खदान के कर्मचारियों को मिलता है वह बेहद कम है। जंगली पेड़–पौधों का रोपण किया जावे, जिससे आसपास के वातावरण के साथ–साथ फल एवं रोजगार मिलेगा।

113. **श्री मदन सिंह मरावी, ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – हमारे गांव के समूह वाले खदान खोलन की बात बोलते है। खदान खुले किन्तु आसपास के ग्रामीणों को रोजगार एवं समाजिक सुविधा उपलब्ध करावें। खदान का हम समर्थन करते है।

114. **मोहम्मद इस्लाम, ग्राम–चोटिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मैं खदान का समर्थन करता हूॅ।

115. **श्री भगवान दास, ग्राम–चोटिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलना चाहिए एवं हमारी मांगे पूर्ण होनी चाहिए।

116. **श्री आत्माराम मेश्राम, ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलना चाहिए हम समर्थन करते है।

117. **श्री तोप सिंह राज, ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – ग्रामीणों को रोजगार मिलना चाहिए ।

118. **श्री कन्हैया लाल, ग्राम–सलाईगोट, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – हमारी मांग, खदान प्रबंधन पूरी करता है तो हम समर्थन करते है।

119. **श्री अमित राय, ग्राम–चोटिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलना चाहिए, जिससे हमें रोजगार मिले।

120. **श्री विजय कुमार साहू, ग्राम–चोटिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलना चाहिए, मै समर्थन करता हूॅ।

121. **श्री विवके, ग्राम–परला, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुले रोजगार मिलना चाहिए ।

122. **श्री ढालेश्वर प्रसाद देवांगन, ग्राम–चोटिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलना चाहिए।

123. **श्री मानसिंह मरकाम, ग्राम–बनिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलने से ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा एवं अन्य लाभ होंगे।

124. **श्री लाला प्रसाद, ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मैं खदान खुलने का समर्थन करता हूॅ।

125. **श्री द्वारिका प्रसाद, ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलने का मैं समर्थन करता हूॅ।

126. **श्री श्याम सुंदर, ग्राम–सलाइगोट, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलने का मैं समर्थन करता हूॅ।

127. **श्री मुकेश पाण्डेय, जन प्रतिनिधि, जिला–कोरबा** – खदान खुलने से ही लोगों का विकास होगा।

128. **श्री सुधीर प्रसाद वर्मा, जिला–कोरबा** – ख्खदान खुलने से ही लोगों का विकास होगा।

129. **श्री मन्तराम बिंझवार, ग्राम–घूंचापुर, ग्राम–पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए तो मैं खदान खुलने का समर्थन में हूॅ। मांग पूरी नहीं होने पर मैं विरोध करता हूॅ।

130. **श्री महेश प्रसाद दीवान, ग्राम–चोटिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – बालको की खदान खुले मैं समर्थन करता हूॅ।

131. **श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, ग्राम–चोटिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मैं खदान खुलने का समर्थन करता हूॅ।

132. **श्री संतलाल, ग्राम–खडखड़ी, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मै खदान का समर्थन करता हूॅ।

133. **श्री राजेन्द्र कुमार, ग्राम–चोटिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मै खदान खुलने का समर्थन करता हूॅ।

134. **श्री विनोद जायसवाल, ग्राम–चोटिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मै खदान खुलने का समर्थन करता हूॅ।

135. **श्री राजेन्द्र कुमार, ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मै खदान का समर्थन करता हूॅ। रोजगार मिलना चाहिए।

136. **श्री चंद्रकांत सिंह, ग्राम–लाद, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

137. **श्री कुंश कुंवर, ग्राम–परला, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मै स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

138. **श्री रविन्द्र कुमार पाण्डे, जिला–कोरबा** – मैं खदान खुलने का समर्थन करता हूँ।

139. **श्री सुरेश कुमार देवांगन, ग्राम–चोटिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलने का समर्थन करता हूँ। रोजगार, मूलभूत सुविधा दी जाये।

140. **श्री जसवंत राव ग्राम–चोटिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलेगा तो रोजगार मिलेगा। खदान खुलना चाहिए। बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

141. **श्री जगतराम, ग्राम–सलाईगोट, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा मिलना चाहिए।

142. **श्री वर्षराज राजवाडे, ग्राम–लालपुर, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – बेराजगार युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए।

143. **श्री आर.पी. सिंह, इंटक युनियन, ग्राम–चोटिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – माइंस खुलने के पक्ष में हूँ। खदान खुलने से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। मूलभूत सुविाएं मिलनी चाहिए। खदान खुलने का मैं समर्थन करता हूँ।

144. **श्री बिसाहू राम यादव, जिला–कोरबा** – खदान खुलना चाहिए।

145. **श्री भुवन लाल कुलस्त, ग्राम–सलाईगोट, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – मांगे पूरी होनी चाहिए। अस्थायी श्रमिकों को स्थायी किया जावे। मैं खदान खुलने का समर्थन करता हूँ।

146. **श्री जयपाल सिंह, ग्राम–सलाइगोट, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – अस्थायी श्रमिकों/कर्मचारियों को स्थायी किया जावे। बालको का वेतन दिया जावे।

147. **श्री प्रताप सिंह, ग्राम–भुजंगकछार, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – रोजगार मिलना चाहिए।

148. **श्री लालमन, ग्राम–भुजंगकछार, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – सभी भाइयों को रोजगार मिलना चाहिए।

149. **श्री तारकेश्वर कुमार बांधेकर ग्राम–कटघोरा, जिला–कोरबा** – खदान खुलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए।

150. **श्री कोमल कुमार सिंह, पूर्व सरपंच, ग्राम–लमना, जिला–कोरबा** – स्थानीय लोगों की सभी मांगे पूरी हो, तब खदान चालू किया जावे। बालको माईंस चालू होना चाहिए, तभी इस क्षेत्र की समस्या का समाधान होगा। साल, चार, तेंदू, महुआ जैसे वृक्षों का रोपण किया जावे। बेरोजगारों को रोजगार दिया जावे। नौकरी में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जावे। निःशक्त, वृद्धों हेतु पेंशन दिया जावे। नवयुवक–नवयुवतियों की शादी हेतु मदद करें। योग्यतानुसार काम का आबंटन होना चाहिए। मजदूरों को अचित पारिश्रमिक दिया जावे।

151. **श्री सीताराम , ग्राम–जांजगीर–चांपा** – कोल माईन खुलने का समर्थन करते है।

152. **श्री जगतपाल सिंह, ग्राम–सलाईगोट, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – फलदार, जीवकोपार्जन से संबंधित पौधों का वृक्षारोपण किया जावे।

153. **श्री रामदीन साहू, कटघोरा, जिला–कोरबा** – कोल खदान का समर्थन करते है।

154. **मोहम्मद मोविन, ग्राम–चोटिया, जिला–कोरबा** – बालको द्वारा खदान शुरू किया जावे। हम सथर्मन करते है।

155. **श्री प्रदीप कुमार रत्नाकर, बालको कर्मचारी, जिला–कोरबा** – रोजगार के अवसर का लाभ उठावे। क्षेत्र की समस्या का निराकरण करें एवं रोजगार देवें।

156. **श्री बोरेलाल साहू , ग्राम–चोटिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – चोटिया के मातिनदाई तक प्रदूषण ज्यादा है। तो स्थिति यहां पर खदान खुलने के कारण नहीं होना चाहिए। माईंस खुलने से क्षेत्र वासियों को फायदा नहीं होगा। 90 प्रतिशत बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का संकल्प देती है, तब खदान खुलने का समर्थन करेंगे।

157. **श्री शिवदास मानिकपुरी, ग्राम–चोटिया, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – प्रकाश इण्डस्ट्री द्वारा जो भत्ता दिया जा रहा है। वो बालको प्रबंधन द्वारा नहीं दिया जा रहा है। उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। आशय पत्र पर रखा गया है। सुविधाओं में कटौती की जा रही है।

158. **श्री शनिचराम , ग्राम–सलाईगोट, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – सलाईगोंट में खदान खुले, रोजगार के साधन मिले, पानी बिजली, सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए। तभी समर्थन देंगे।

159. **श्री हृदय तिग्गा , सरपंच धजाक, जिला–कोरबा** – पर्यावरणीय स्वीकृति का विरोध करता हूँ। जो मुआवजा देगी वो बहुत कम है। हसदेव बांध का पानी प्रदूषित होगा। हम विरोध करते है।

160. **श्री विशम्भर , ग्राम–सलाईगोट, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – बालको कंपनी पेंशन दे। विकलांगता पेंशन देवे।

161. **श्री प्रहलाद सिंह बिंझवार , जिला–कोरबा** – स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया जवे, तभी खदान खुले। अन्यथा खदान न खुले।

162. **श्री नैनसाय खैरवार, ग्राम–लमना, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान खुलेगा तो पर्यावरण की सुरक्षा करनी होगी। खदान खुलने से धूल–डस्ट होगा, जिसका नियंत्रा करना होगा। पौधारोपण करना होगा, पौधों की रक्षा करनी होगी। पेड़ के बदले पेड़ लगाया जाये, समिति बनया जाये, इनके माध्यम से रक्षा की

जाये, साल, सरई, महुआ का वृक्ष लगाया जाये, क्षति की भरपाई की जावे, तब खदान खुले, मांग पूरा होना चाहिए।

163. **श्री पूरन साय, ग्राम–कोइलारगढ़, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – पट्टा नहीं दिया गया। जब तक पट्टा नहीं देगा, खदान नहीं खुलेगा।

164. **श्री मान सिंह, ग्राम–भुजंगकछार, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – जो मांग किया जाये उसे लिखित में दे, तब खदान खुलने का समर्थन करेंगे।

165. **श्री नेहरू, ग्राम–कोसलईगढ़रा, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान नहीं खुलना चाहिए। खदान खुलने का विरोध करते है।

166. **श्री शिवराम, ग्राम–भुजंगकछार, तहसील– पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा** – खदान नहीं खुलना चाहिए।

167. **श्री अश्महन सिंह, ग्राम–गढियाकछार** – खदान नहीं खुलना चाहिए।

168. **श्री राजू गंधर्व, चांपा** – खदान खुलना चाहिए।

169. **मोहम्मद सफीक, जिला–कोरबा** – खदान खुलना चाहिए । रोजगार मिलना चाहिए।

170. **श्री परसराम बिंझवार, ग्राम–सखोदा** – पढे लिखे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। स्थानीय स्तर पर । नाव चाहिए आवागमन हेतु।

**लोक सुनवाई के पूर्व एवं लोक सुनवाई के दौरान लिखित रुप से निम्नानुसार चिंताओं/सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई है :–**

**01. लालमन सिंह, अध्यक्ष एवं श्री एम.एल.रजक, महासविच, एल्युमिनियम एम्पलाईज युनियन, जिला–सरगुजा एवं कोरबा–**

- मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, द्वारा चोटिया कोल माईन का आधिपत्य, लेने के बाद चोटिया खदान में कार्यरत कर्मचारियों को भारत एल्युमिनियम कंपनी लि. के कर्मचारियों के समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, पूर्व की भांति ही, वेतन दिया जा रहा है। उन्हें ठेकाकर्मी से भी कम वेतन दिया जा

रहा है। संबंधित कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता है, किन्तु बालको प्रबंधन द्वारा आज दिनांक तक संबंधित कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में दिनांक 06.01.2018 को पर्यावरणीय जन सुनवाई किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

**02. श्री लक्ष्मी चौहान, सचिव सार्थक, कोरबा**

- कोल फायर के उत्सर्जन के फलस्वरूप होने वाली स्वास्थ्य गत समस्याओं के लिये **EIA** में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है?
- **EIA** के अनुसार वर्तमान एवं प्रस्तावित माइंनिग के फलस्वरूप होने वाला **Emission** वायु नियंत्रण मानको से उच्च स्तर पर जाऐगा।
- EIA के अनुसार विस्थापन एवं कृषि कार्य के बारे में नहीं बताया गया है।
- सोलर ऊर्जा के उपयोग के संबंध में EIA में नहीं बताया गया है?
- कार्बन से संबंधित सामाजिक मूल्यों के बारे में EIA में कोई उल्लेख नहीं है?

**03. कार्यालय ग्राम पंचायत, घुंचापुर, लमना, लाद, बनिया एवं परला जिनके समतुल्य मद्दे निम्नानुसार है – (कुल 05 आवेदन)**

- कोयला खदान का उत्पादन क्षमता बढ़ाने एवं खदान शुरू होने से हमारे ग्राम पंचायतों की उन्नति होगी, जिससे हमारे जीवन में सुधार होगा। बालको खदान से रोजगार के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष मौके उपलब्ध होंगे। बालको द्वारा सघन वृक्षारोपण का कार्य किया जावेगा। ऐसा बताया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण का संरक्षण होगा और पर्यावरण को कोई हानि नहीं होगी।

**04. ग्राम भुजंगकछार, तहसील–पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा जिनके समतुल्य मुददे निम्नानुसार है – (कुल 18 आवेदन)**

- बालको की कोयला खदान की उत्पादन क्षमता बढ़ाने एवं खदान शुरू करने से हमारी उन्नति होगी, जिससे हमारे जीवन में सुधार होगा। बालको खदान से रोजगार के अप्रत्यक्ष मौके भी उपलब्ध होंगे। बालको द्वारा सघन वृक्षारोपण का

कार्य किया जावेगा। ऐसा बताया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण का संरक्षण होगा और पर्यावरण को कोई हानि नहीं होगी। बालको की कोयला खदान की उत्पादन क्षमता बढावें।

**05. ग्राम–कोईलारगडरा तहसील–पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा जिनके समतुल्य मुददे निम्नानुसार है – (कुल 24 आवेदन)**

- बालको कोयला खदान की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर खदान शुरू होने से ग्रामीणों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे ग्रामीणों को रोजगार के लिए इधर–उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर जायेगी और लोग अपना जीवन यापन और बेहतर तरीके से कर पाऐंगे। साथ ही बालाको को ओव्हर बर्डन पर मिट्टी भरकर समतल कर पौधारोपण किया जाये, जिससे आसपास का पर्यावरण अच्छा रहेगा।

**06. श्रीमती किरण मरकाम, अध्यक्ष जनपद पंचायत, पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा**

- कोयला खदान खुलने से रोजगार सृजन होगा। स्थानीय व्यवसाय का फूलने–फलने का अवसर मिलता है। बालको के उत्खन्न कार्य से शासन को तथा तथा स्थानीय ग्राम पंचायतों को राजस्व की प्राप्ति होती है। बालको सामुदायिक विकास के अनेक कार्य सम्पन्न कराता है, जो स्थानीय नागरिकों के साथ–साथ, कोरबा जिल के नागरिकों को भी जिसका लाभ मिल रहा है। प्रबंधन द्वारा 3–4 पंचायतों में मेडिकल कैम्प लगाये जाते है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इनके द्वारा सहयोग किा जाता है। बालको की चोटिया–2 कोयला खदान में उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हेतु शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

**07. ग्राम लाद, तहसील–पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा जिनके समतुल्य मुददे निम्नानुसार है – (कुल 13 आवेदन)**

- बालको की कोयला खदान शुरू होने से ग्रामवासियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। हमारे आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर हमारा जीवन यापन भी पहले से अच्छा होगा। बालको प्रबंधन द्वारा यह बताया गया है कि उत्खनन के बाद ओव्हर बर्डन एवं मिट्टी भर समतलीकरण करके सघन वृक्षोरोपण किया जावेगा, जिससे हमारे आसपास के पर्यावरण अच्छा रहेगा। बालको की कोयला खदान क्षमता बढ़ाने की कृपा करें।

**08. श्री रामसेवक पैकरा, मंत्री, गृह, जेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छ.ग.शासन, श्री कमलभान सिंह मरावी, सांसद सदस्य(लोकसभा) सरगुजा, श्री अमरजीत भगत, विधायक, सीतापुर – जिनके समतुल्य मुददे निम्नानुसार है – (कुल 03 आवेदन)**

- बालको कंपनी पिछले लगभग 2 वर्षों से चोटिया–1 खदान से कोयला उत्खनन कार्य किया जा रहा है। अपने उत्खनन कार्य के दौरान बालको ने पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, स्वास्थ्य, सुरक्षा सामुदायिक विकास के अनेक कार्य किये है। जैसे बालको द्वारा संचालित स्वास्थ्य केन्द्र से आस–पास के ग्रामवासियों को निशुल्क उपचार की जाती है, पेयजल की सुविधा वर्तमान में चोटिया गांव के अलावा आस–पास के और तीन गांवों को मुहैया कराई जाती है। समय–समय पर मेडिकल कैम्प भी लगाये जाते है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आवश्यकतानुसार सहायता मद से निधि खर्च की जाती है। ग्रामीणों की सुविधा हेतु प्रत्येक वर्ष कंबल का वितरण किया जाता है। बालको ने अपने कार्य से क्षेत्र की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक असर छोड़ा है। लोगों के पास रोजगार है तथा उन्हें सामुदायिक विकास मद से अनेक रोजगारपरक कार्यक्रमों से जोड़ा गया है।

**09. समस्त ग्राववासी – लाद एवं अध्यक्ष, संयुक्त वन प्रबंधन समिति, ग्राम–लाद, तहसील–पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा**

- हमारे क्षेत्र में 100 से 80 हाथियों को झुण्ड विचरण कर रहा है , जिससे जनधन की क्षति की आशंका बनी रहती है। कई जगहों पर फसल बर्बाद भी कर चुके है, जिससे ग्रामीण दहशत में रहकर रतजगा करने पर मजबूर है।

**10. श्री अशोक यादव, अध्यक्ष, पूर्वांचल विकास समिति, बालको नगर, जिला–कोरबा**

- बालको द्वारा इंजिनियर, ठेका श्रमिक एवं संयंत्र के अंदर के सभी ठेका बाहरी व्यक्तियों को दिया जा रहा है।
- बालको द्वारा संचालित 540 मेगावॉट एवं 1200 मेगावॉट बिजली संयंत्र से उत्सर्जित होने वाली राख के व्यवस्थापन हेतु समुचित राखड़ बांध का निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे बालको क्षेत्र में भारी प्रदूषण का माहौल बना रहता है।
- सामुदायिक विकास विभाग बालको के द्वारा बालको जाने कसे समस्त आठो वार्डों मे जनहित के विकास में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता है।
- रूमगढ़ा चौक से रिसदा चौक तक भारी वाहनों का आवगमन 24 घंटे रहता है, जिससे आय दिन अप्रिय घटना घटती रहती है।
- बालको नगर की समस्त सड़कों, पार्क, स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था बहुत ही जर्जर है।
- बालको द्वारा संचालित अस्पताल में किसी भी प्रकार का जनहित के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

**11. श्री आलोक शुक्ला, संयोजक, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, सी –52, सेक्टर–1, शंकर नगर, रायपुर–**

- ई.आई.ए. रिपोर्ट में बांगो बांध के कैचमेंट पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की कोई जानकारी नहीं है।
- ई.आई.ए. रिपोर्ट में ओपन कास्ट तथा भूमिगत माइनिंग के अलग–अलग प्रभावों को नहीं दर्शाया गया है।

- ई.आई.ए. रिपोर्ट में खदान की अंतिम गहराई तथा इससे भूमिगत जल पर पड़ने वाले प्रभाव की कोई व्याख्या नहीं है।
- ई.आई.ए. रिपोर्ट में कोयले की आग से होने वाले उत्सर्जन से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से जुड़ा कोई विवरण नहीं है।
- ई.आई.ए. रिपोर्ट में खनन पश्चात गहरे गड्ढों को फ्लाई ऐश से भरे जाने के गंभीर दुष्प्रभावों को कोई उल्लेख नहीं ।
- ई.आई.ए. रिपोर्ट में परियोजना के विकल्प के रूप में अन्य साईट का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- खनन पट्टे के अध्ययन क्षेत्र के चारों ओर 10 कि.मी. की त्रिज्या के दायरें में 4 आरिक्षत तथा 2 संरक्षित वन स्थित है। हसदेव अरण्य कई वन्य प्राणियों का आवास है, साथ ही इस क्षेत्र में हाथियों का मायग्रेटरी रूट भी है। वन्य जीव (सरंक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल कई वन्य जीव इस क्षेत्र में पाए जाते है। इस परियोजना से उनका अस्तित्व प्रभावित होगा।

**12. श्री फूलेश्वर प्रसाद सूरजइहा, मुकाम–गजरा, पो.–बांकीमोंगरा, जिला–कोरबा**

- पर्यावरण एवं वन विनाश तथा भूमि का हेरा फेरी करने में श्री अनील अग्रवाल के ब्यूरोक्रेट एवं ब्यूरोक्रेसी द्वारा सभी हदों को पार कर दिया गया है। बालकों से लगे आदिवासी ग्राम रोक बहरी में पर्यावरण की अनदेखी करते हुए वनभूमि में फैल पेड़ों की कटाई की गई। कास्टिक डेम का पानी किसानों के खेतों के आसपास कास्टिक राखड़ के टीले निर्मित हो गए।
- यह कि बालको स्टार लाईट तथा वेदांता द्वारा बांगो बांध में स्टीमर का संचालन राज्य शासन के सहयोग से किया जाये। ताकि कोरबा से बुका एतमानगर,बोड़ा नाल बहेरा, गढ़, बड़गांव एवं बांध के किनारे बसे ग्रामों के निवासी कम खर्च और समय में अपने निवास में पहुंच सके।

- यह कि बांगों बांध में मत्सय पालन में पारदर्शिता हेतु बालको के सौजन्य से एक निगरानी समिति बनाई जाए। ताकि मत्स्य पालन में बढ़ोतरी हो सके।
- यह कि बालको से निवेदन किया जा रहा है कि वह सलईगोंट ग्राम की वन संपदा उसकी निरंतरता सामुदायिक भावना और संस्कृति अक्षुण रखे।
- यह कि बालको द्वारा 13 लाख वृक्षारोपण कहां पर किया गया है। जनराष्ट्र हितार्थ श्वेत पत्र जारी करें।

**लोकसुनवाई के दौरान तथा लोक सुनवाई के पूर्व प्राप्त मुख्य रूप से लिखित/मौखिक चिंताओं/ सुझाव/ विचार/टीका –टिप्पणीयां एवं आपत्तियों में उठाये गये मुख्य मुद्दों का समावेश निम्नाकिंत प्रश्नों में किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में श्री अफरोज अली, प्रमुख कोल माईन्स, मेसर्स भारत एल्युमिनियम कं. लि. द्वारा ग्राम–सलाईगोट, तहसील–पोड़ी उपरोड़ा, जिला–कोरबा द्वारा दी गई जानकारी समावेशित प्रश्नों के साथ निम्नानुसार है :–**

1. मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ओपनकास्ट एवं अण्डर ग्राउंड कोल माइन परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में कितने एकड़ एवं कितने नग पौधों का रोपण किया जावेगा, जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके ?

उ0 खदान क्षेत्र के आसपास पौधा रोपण का मुख्य लक्ष्य जमीन को स्थायित्व प्रदान करके वर्षा और वायु के कटाव से बचाना है। पौधा रोपण निम्न क्षेत्रों में किया जायेगा–

- खदान क्षेत्र के चारों ओर एवं इमारतो के आसपास।
- खदान क्षेत्र में कम वृक्षो वाले क्षेत्र में बीच–बीच में वृक्षारोपण किया जायेगा।
- ओवर बर्डन के उपर।

खदान क्षेत्र के चारो ओर 6.702 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया जायेगा।बाहय ओवर बर्डन एवं खनन के उपरांत बेकफिल्ड किये हुये क्षेत्र पर भी

पौधा रोपण किया जायेगा जिसके क्षेत्रफल कमशः 3 और 79.4 हेक्टेयर होगा।प्रति हेक्टेयर 2500 पौधो का रोपण बेकफिल क्षेत्र पर किया जायेगा। इसके आलावा खनन क्षेत्र में ही 227.724 हेक्टेयर अबाधित क्षेत्र में बीच–बीच में भी पौधा रोपण किया जायेगा।

2. मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित की गई चोटिया कोयला खदान जो कि प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से अधिग्रहित की गई है, में कार्यरत् अधिकारी एवं कर्मचारियों को पूर्व प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की भॉति ही वेतन दिया जा रहा है, बालको अधिकारी एवं कर्मचारी के समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, प्रबंधन द्वारा आज दिनांक तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन वृद्धि मे कोई कार्यवाही नहीं की गई है।कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन, ठेका श्रमिकों से भी कम है।

उ0 श्रमिक संघो के साथ चर्चा चल रही है एवं मुद्दो को सुलझा लिया जायेगा। संघ के साथ चर्चा चल रही है और मुददा जल्द ही सुलझा लिया जावेगा।

3. 1. कोल फायर के उत्सर्जन के फलस्वरूप होने वाली स्वास्थ्य गत समस्याओं के लिये EIA में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है?

उ0 कोयले के उष्मायन अवधि 4 महिने से अधिक होती है। चोटिया माईन से निकाले गये कोयले को बालको के कोरबा स्थित कैप्टिव पावर प्लांट में ''प्रथम प्रवेश प्रथम निकास'' के आधार पर भेजा जायेगा। खदान क्षेत्र में एक समय में कोयले का संग्रहण ज्यादा नहीं रहेगा।यह जानते हुए भी कि चोटिया कोल माईन में आग लगने की संभावना ना के बराबर है, के बावजूद भी अग्नि सुरक्षा के समस्त प्रबंध सदैव ही रहेगें। चोटिया माईन में कोयला में आग लगने का कोई इतिहास नहीं है।

2. EIA के अनुसार वर्तमान एवं प्रस्तावित माइंनिग के फलस्वरूप होने वाला Emission वायु नियंत्रण मानको से उच्च स्तर पर जाऐगा।

उ0 परिवेशीय वायु गुणवत्ता की वैल्यू जो कि 62.4 माईक्रो ग्राम/प्रतिवर्ग मीटर जो कि टेबल 4.8 के अनुसार बताई गई है, यह केवल उसी स्थिति में आ सकती है, जबकि उसके नियंत्रण के लिये कोई उपाय नहीं लिये गये हो।

परिवेशीय वायु गुणवत्ता को सदैव नियंत्रण में रखने हेतु निम्न कार्य किये जायेंगे–

- वेट ड्रिलींग।
- कन्ट्रोल्ड ब्लास्टिंग नूनल के साथ।
- कोयले की लोडिंग एवं अनलोडिंग के समय जल का छिड़काव।
- ओवरबर्डन का वनस्पतिक स्थिरीकरण।
- खदान की परिसीमा पर ग्रीनबेल्ट का निमार्ण।
- खदान क्षेत्र की सड़कों एवं कोयला संग्रहण यार्ड में जल छिड़काव की व्यवस्था।

इन उपायों के माध्यम से प्रदुषण स्तर को स्वीकृत सीमा के नीचे ले जाया जायेगा।

3. EIA के अनुसार विस्थापन एवं कृषि कार्य के बारे में नहीं बताया गया है?

उ0 ईआईए रिर्पोट में चित्र 3.3.2 में खदान क्षेत्र एवं 10 किलो मीटर परिधि का बफर जोन प्रदर्शित किया गया है। जिसमें क्षेत्र में आने वाली नदियों, बांध, जंगल , गांव , कृर्षि क्षेत्र, सड़क आदि को दर्शाया गया है।

4. सोलर ऊर्जा के उपयोग के संबंध में EIA में नहीं बताया गया है?

उ0 कैप्टिव पावर प्लाण्ट कोयले पर आधारित थर्मल पावर प्लाण्ट है।

5. कार्बन से संबंधित सामाजिक मूल्यों के बारे में EIAमें कोई उल्लेख नहीं है?

उ0 यह MOEF & CC के जारी किये गये टर्म एवं रिफ्रेन्श के दायरे से बाहर है।

4. मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा में संचालित 540 एवं 1200 मेगावाट विद्युत संयत्रों से निकलने वाले राखड़ के व्यवस्थापन हेतु समुचित राखड़

बांध का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे बालको क्षेत्र में भारी प्रदूषण का माहौल बना हुआ है।

उ0 कैप्टिव पावर प्लाण्ट कोयले पर आधारित थर्मल पावर प्लाण्ट है। यह कथन चोटिया–2 परियोजना के लिये सुसंगत नहीं है, हालांकि बालको के एश डाइक में प्रदुषण रोकने हेतु जरूरी उपाय पहले से ही मौजूद है।

5. EIA रिर्पोट में बांगोबांध के कैचमैंट पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी नहीं दी गई ?

उ0 खनन गतिविधियॉ खनन पट्टा क्षेत्र में ही सीमित रहेंगी। खदान क्षेत्र के पश्चिमी भाग से होकर कुछ मौसमी प्रथम आर्डर की धारा, जिनका कैचमेन्ट क्षेत्र बहुत सीमित है, इसलिये सतही प्रवाह भी सीमित है, गुजरती है। इन धाराओं के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित नहीं किया जायेगा, क्योंकि खनन पट्टा क्षेत्र के पश्चिमी भाग में भूमिगत खदान का संचालन होगा तथा इस क्षेत्र में सतही उत्खनन नहीं होगा। खनन पट्टा क्षेत्र के दक्षिण पूर्व भाग में कुछ प्रथम आर्डर की धारा जिनका कैचमेन्ट क्षेत्र बहुत सीमित है, इसलिये सतही प्रवाह भी सीमित है, गुजरती है। खनन पट्टा क्षेत्र के इस भाग में ओपन कास्ट माईन का संचालन होगा जिससे इन प्राकृतिक धाराओं पर प्रभाव पड़ेगा।

**<u>बचाव के उपाय :–</u>**

इन प्राकृतिक धाराओं को खनन पट्टा क्षेत्र के सामानान्तर परिवर्तित किया जायेगा और वर्षा ऋतु में इन धाराओं के सहती प्रवाह को गारलेण्ड ड्रेन में एकत्रित किया जायेगा, जोकि खनन पट्टा क्षेत्र के पूर्व भाग से होकर गुजरेगी और उत्तर दिशा में प्राकृतिक प्रभाव में मिल जायेगी।खनन पट्टा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली प्राकृतिक धाराओं में अवरोध को निम्नलिखित उपायों से रोका जायेगा–

- ओवर बर्डन डम्प के चारों तरफ गारलैण्ड ड्रेन दि जायेगी, जोकि ओवर बर्डन डम्प से जल के रिसाव को मुख्यतः मानसून में सेटेलिंग पौंड में

भेजेगी, जिससे मलबा एवं बाहरी पदार्थ तल पर बैठ जायेंगे और सिर्फ साफ जल छिड़काव एवं अन्य कार्यो के लिये उपलब्ध रहेगा।

- खदान में पर्याप्त क्षमता का सम्प बनाया जायेगा, जोकि पानी को बाहर निकालने से पहले मलबा/ओवर बर्डन को तल पे बैठा देगा। नियमित अंतराल पर सम्प की साफ–सफाई भी की जायेगी।
- भू–कटाव को रोकने के लिये ओवर बर्डन डम्प के ढलान पर मुख्यतः स्थानीय घास, झाड़ियो एवं पौधों का रोपण किया जायेगा।

6. EIA रिपोर्ट में ओपनकास्ट एवं भूमिगत माइनिंग के अलग–अलग प्रभावों को नहीं दर्शाया गया है?

उ0 ओपन कास्ट और भूमिगत खनन और इनसे जूड़ी गतिविधियों से होने वाले मुख्य प्रभाव निम्नानुसार हैः–

- टोपोग्राफी और भू–उपयोग।
- मृदा।
- जलवायु।
- ड्रेनेज व्यवस्था।
- जल।
- वायु की गुणवत्ता।
- ध्वनि स्तर।
- कंपन।
- स्खलन।
- वनस्पिति एवं जीव।
- सामाजिक और आर्थिक पहलू।

आने वाले वर्षों के लिये अनुमानित खुली और भूमिगत खुदाई के कारण इन सभी क्षेत्रों पर प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है जो EIA रिपोर्ट के अध्याय 4 में दिया गया है।

7. EIA रिपोर्ट में खदान की अंतिम गहराई तथा इससे भूमिगत जल पर पड़ने वाले प्रभाव की कोई व्याख्या नहीं है।

उ0 खदान की अंतिम गहराई 60 मीटर होगी। जिसका जिक्र EIA रिपोर्ट की टेबल नम्बर 2.24 में है। भूमिगत जल पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या EIA रिपोर्ट के अध्याय 4 में दी गयी है।

8. EIA रिपोर्ट में कोयले के आग से होने वाले उत्सर्जन में लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ा कोई विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है।

उ0 कोयले के उष्मायन अवधि 4 महिने से अधिक होती है। चोटिया माईन से निकाले गये कोयले को बालको के कोरबा स्थित कैप्टिव पावर प्लांट में ''प्रथम प्रवेष प्रथम निकास'' के आधार पर भेजा जायेगा। खदान क्षेत्र में एक समय में कोयले का संग्रहण ज्यादा नहीं रहेगा। यह जानते हुए भी कि चोटिया कोल माईन में आग लगने की संभावना ना के बराबर है, के बावजूद भी अग्नि सुरक्षा के समस्त प्रबंध सदैव ही रहेगें। चोटिया माईन में कोयला में आग लगने का कोई इतिहास नहीं है।

9. EIA रिर्पोट में खनन पश्चात् गहरे गड्ढों को फ्लाईएश से भरे जाने के गंभीर दुष्प्रभाव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

उ0 देश के प्रतिष्ठत संस्थान आईएसएम धनबाद द्वारा चोटिया कोल माइन को फलाई एश से भरने के कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है। जिसकी प्रतिलिपि अनुलग्नक XIX के रूप में EIA रिर्पोट में सलग्न है।उपरोक्त रिपोर्ट में प्रभाव को कम करने के आवष्यक उपायों का सुझाव दिया गया है।

10. EIAरिर्पोट में परियोजना विकल्प के रूप में अन्य साइड का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उ0 परियोजना के वैकल्पिक स्थल का विश्लेषण EIA रिपोर्ट के अध्याय 5 में दिया गया है।

11. खदान क्षेत्र के 10 किलो मीटर की त्रिज्या के दायरे में 4 आरक्षित तथा 2 संरक्षित वन स्थिति है। हसदेव अरण्य कई वन्यप्रॉणियों का आवास है, साथ ही इस क्षेत्र में

हाथियों का मायग्रेटरी रूट भी है। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल कई अन्य जीव इस क्षेत्र में पाये जाते है। इस परियोजना से उनका अस्तित्व प्रभावित होगा।

उ0 एक विस्तृत वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन योजना तैयार की गई है और EIA रिर्पोट में अनलग्नक XII के रूप में संलग्न है। राज्य के कैम्पा अकाउंट में वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के लिये आवष्यक धनराषि जमा कराया जा चूका है। वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन योजना का कियान्वयन राज्य के वन विभाग द्वारा किया जायेगा। अध्ययन क्षेत्र मे हाथियों का यदाकदा आवागमन होता रहता है यद्यपि अध्ययन क्षेत्र में कोई स्थापित या सरकारी अधिसूचित हाथी कॉरिडोर मौजूद नहीं है।

12. बालको कंपनी के राखड़ बांध से बालको से लगे आदिवासी ग्राम रोगबहरी में पर्यावरण की अनदेखी करते हुए वन्य भूमि में फैले पेड़ों की कटाई की गई हैं, डेम के कास्टिक से आसपास के किसानों की भूमि खराब हो गई एवं खेतों में राखड़ के टीले निर्मित हो गई है।

उ0 यह कथन चोटिया–2 कोयला खदान के संबंध में सुसंगत नहीं है।

13. मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा ग्राम सलाईगोट एवं सलाईगोट के आसपास के सभी ग्रामपंचायतो में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था करना होगा।

उ0 गांव के लोगों की आवश्यकता अनुसार विकास के कार्यों को किया जायेगा। मूलभूत सामाजिक आवश्यकताओं को मजबूत करने के लिये स्वास्थ सेवाओ, शैक्षणिक सुविधाएँ और प्रभावित गांवों में पीने के पानी की सुविधा का विस्तार किया जायेगा। मातिन दाई मंदिर से ग्राम सलाईगोट तक की सड़क की मरम्मत की जायेगी। इस प्रकार से प्रस्तावित परियोजना से क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

14. सलाईगोट एवं आसपास के ग्रामीणों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जावे।

उ0 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के लिये स्थानीय ग्रामीणों को षिक्षा, कौषल, पात्रता, परियोजना की आवष्यकतानुसार और पुनर्वास नीति के तहत प्राथमिकता दी जायेगी। प्रस्तावित परियोजना से अप्रत्यक्ष रोजगार जैसे– वाहन चालन, मजदूरी, व्यापार हेतु निर्माण सामाग्री एवं बढई कार्य इत्यादि के अवसर प्रदान किये जायेंगे, जिससे इस क्षेत्र के साजाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी।

15. खदान संचालन के पश्चात् सलाईगोट एवं सलाईगोट के आसपास के ग्रामीणों में वृद्ध/बुढ़ों को पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई जाये।

उ0 जो व्यक्ति पात्र है उन्हे भत्ता दिया जायेगा।

16. यह कि बालको प्रबंधन, खदान से प्रभावित महिलाओं एवं लड़कियों को शिक्षा देने के लिये विशेष योजना बनायें।

उ0 उन्नति परियोजना के अंतर्गत स्थानीय गांवों की महिलाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, कला और शिल्प प्रशिक्षण आदि प्रदान किये जायेंगे।

17. यह कि खदान खुलने से जंगलो का विनाश होगा, आसपास के ग्रामीण, जंगली वनस्पति जैसे–चार, तेंदू, महुआ, लाख एवं तेंदूपत्ता से अपना गुजर बसर करते है, किन्तु जंगल के उजड़ने से हम ग्रामीणों की गुजरबसर करना मुश्किल हो जायेगा।

उ0 खदान क्षेत्र में खनन के उपरांत बेक फिलिंग करके वन विभाग, स्थानीय निवासियों के परामर्श से स्थानीय एवं उपयोगी वनस्पतियों का रोपण किया जायेगा। क्षेत्र में कई अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावनाएँ भी उत्पन्न होगी। यह कई परिवारों को

रोजगार प्रदान करेगा जैसे–दुकान, डेयरी, मुर्गी पालन और सेवा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियॉ। इस तरह से क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक दशा में सुधार होगा।

18. खदान प्रबंधन द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण को रोकने हेतु क्या व्यस्था की जावेगी ?

उ0 **<u>वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय</u>** :

वाटर टैंकर एवं स्प्रींकलर के माध्यम से डस्ट को नियंत्रण किया जायेगा। हॉल रोड़ पर ट्रैफिक की वजह से उत्पन्न डस्ट को नियमित अन्तराल पर जल छिड़काव के द्वारा नियन्त्रण किया जायेगा। हॉल रोड़ एवं ओवरबर्डन डम्प के साथ में ग्रीन बेल्ट डेवलपमेन्ट किया जायेगा। प्रदूषण नियन्त्रण के लिये भारी मशीनो का उचित रख रखाव एवं साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

**<u>जल प्रदूषण को रोकने के उपाय</u>** :

**<u>सतही जल</u>** :–

वर्षा ऋतु के दौरान खदान में प्रवेश करने वाले सतही जल को उचित नालियों के माध्यम से परावर्तित कर मिट्टी के कटान को कम किया जायेगा। खदान के कार्य क्षेत्र में जल निकासी की दिशा खदान के सम्प की तरह रहेगी, इस सम्प का उपयोग वर्षा ऋतु के दौरान उत्पन्न सतही जल को संग्रह करने के लिए किया जायेगा। सम्प में संग्रहित वर्षा जल का उपयोग ग्रीन बेल्ट विकास, डस्ट सप्रेशन एवं पौधारोपण में किया जायेगा। वर्षा ऋतु के दौरान खदान क्षेत्र को सुरक्षित बनाये रखने के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन का निर्माण एवं माइन बेंचेंस में भी जल निकासी के लिए समुचित ढलान आदि के समुचित उपाय किये जायेंगे।

**<u>भू–जल</u>** :

कार्यशाला से उत्पन्न अपशिष्टों को अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP) में सशोधन किया जायेगा और आवासीय परिसर से उत्पन्न घरेलू मल को सेप्टिक टेंकस, सोक पिट्स (STP) में संशोधित किया जायेगा। टैंको और STP को कीचड़ और जमाव से बचाने के लिए समुचित रखरखाव किया जायेगा।

उपरोक्त की विस्तृत व्याख्या EIA रिर्पोट के अध्याय 4 में दी गयी है।

19. खदान के आसपास के ग्रामों में संचालित महिला स्व–सहायता समूह को कंपनी द्वारा सहायता प्रदान की जाये।

उ0 एक अलग बजट महिलाओं के लिये स्व–सहायता समूह विकसित करने के लिये सीएसआर के तहत लिया गया है।

20. यह कि जो अधिकारी कर्मचारी चोटिया खदान में ठेका कर्मी की तरह कार्य कर रहें है, उन्हे नियमित किया जाये एवं नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन दिया जाये।

उ0 श्रमिक संघो के साथ चर्चा चल रही है एवं मुद्दो को सुलझा लिया जायेगा।

21. यह कि ओपनकास्ट एवं अडण्रग्राउंड खदान के संचालन से आस–पास के क्षेत्र का जलस्तर नीचे जायेगा। इसके लिये कंपनी द्वारा क्या व्यवस्था की जायेगी।

उ0 CGWA भारत सरकार के अनुसार चोटिया–2 गैर–अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में भूजल का विकास भूजल उपयोग से अधिक है, इसके बावजूद CGWA के परामर्श से चेक डेम, वर्षा जल संचयन प्रणालियों के माध्यम से पर्याप्त कृत्रिम रिचार्ज उपाय लागू किये जायेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त सीएसआर गतिविधियों के अन्तर्गत वाटर टैंकर के माध्यम से चोटिया–1 खदान एवं आसपास के ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है एवं चोटिया–2 में भी इसे नियमित रूप किया जायेगा।

22. चोटिया खदान से निकले पानी से आस–पास के किसानों की फसल नष्ट हो गई है, खदान प्रबंधन द्वारा आज दिनांक तक किसी भी किसान को मुआवजा नहीं दिया गया है।

उ0 परियोजना अभी तक शुरू नहीं हुई है, परियोजना शुरू होने के बाद खदान के पानी का खदान क्षेत्र में डस्ट सप्रेषन और पौधा रोपण में उपयोग किया जायेगा।खदान का पानी आसपास के क्षेत्रों में ना जाये इसके लिये समूचित उपाय किये जायेंगे जैसे–गारलैड ड्रेन, चेक डेम का निर्माण।

23. सलाईगोट एवं सलाईगोट के आसपास के ग्रामों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जावे।

उ0 सीएसआर गतिविधियों के अन्तर्गत वाटर टैंकर के माध्यम से चोटिया–1 खदान एवं आसपास के ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है एवं चोटिया–2 में भी इसे नियमित रूप किया जायेगा।

24. प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा चोटिया ओपन कास्ट माइंस हेतु अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा आज दिनांक तक कुछ कृषकों को प्रदान नहीं किया गया। बालको प्रबंधन द्वारा भी मुआवजा प्रदान के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

उ0 परियोजना का पूरा क्षेत्र वन भूमि है और एनपीवीए, सीए, आदि से संबंधित पूरी राशि छ.ग. राज्य कैम्पा अकाउंट में पहले ही जमा करायी जा चुकी है। हालांकि भविष्य में यदि कोई भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता हुई तो मुआवजे का भुगतान जिला प्रशासन के परामर्श से किया जायेगा और मौजूदा कानून के मुताबिक होगा।

25. यह कि खदान आने से जंगल उजडेंगे जिससे जंगली जानवर आसपास के ग्रामीणों को नुकसान पहुचाएंगे।

उ0 खदान क्षेत्र में खनन के उपरांत बेक फिलिंग करके वन विभाग, स्थानीय निवासियों के परामर्श से स्थानीय एवं उपयोगी वनस्पतियों का रोपण किया जायेगा।एक विस्तृत वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन योजना तैयार की गई है और EIA रिर्पोट में अनलग्नक XII के रूप में संलग्न है। राज्य के कैम्पा अकाउंट में वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के लिये आवश्यक धनराशि जमा कराई जा चुकी है। वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन योजना का कियान्वयन राज्य के वन विभाग द्वारा किया जायेगा।

26. यह कि EIA रिर्पोट में बांगों बांध के कोई जिक्र नहीं किया गया है। बांगो बांध यहां से 1 किलो मीटर की दूरी पर है।

उ0 खनन गतिविधियॉ खनन पट्टा क्षेत्र में ही सीमित रहेंगी। खदान क्षेत्र के पश्चिमी भाग से होकर कुछ मौसमी प्रथम आर्डर की धारा, जिनका कैचमेन्ट क्षेत्र बहुत सीमित है, इसलिये सतही प्रवाह भी सीमित है, गुजरती है। इन धाराओं के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित नहीं किया जायेगा क्योंकि खनन पट्टा क्षेत्र के पश्चिमी भाग में भूमिगत खदान का संचालन होगा। खनन पट्टा क्षेत्र के दक्षिण पूर्व भाग में कुछ प्रथम आर्डर की धारा जिनका कैचमेन्ट क्षेत्र बहुत सीमित है, इसलिये सतही प्रवाह भी सीमित है, गुजरती है। खनन पट्टा क्षेत्र के इस भाग में ओपन कास्ट माईन का संचालन होगा जिससे इन प्राकृतिक धाराओं पर प्रभाव पड़ेगा।

**<u>बचाव के उपाय</u>** :–

इन प्राकृतिक धाराओं को खनन पट्टा क्षेत्र के सामानान्तर परिवर्तित किया जायेगा और वर्षा ऋतु में इन धाराओं के सहती प्रवाह को गारलेण्ड ड्रेन में एकत्रित किया जायेगा, जोकि खनन पट्टा क्षेत्र के पूर्व भाग से होकर गुजरेगी और उत्तर दिशा में प्राकृतिक प्रभाव में मिल जायेगी। खनन पट्टा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली प्राकृतिक धाराओं में अवरोध को निम्नलिखित उपायों से रोका जायेगा–

- ओवर बर्डन डम्प के चारों तरफ गारलैण्ड ड्रेन दि जायेगी, जोकि ओवर बर्डन डम्प से जल के रिसाव को मुख्यतः मानसून में सेटेलिंग पौंड में भेजेगी, जिससे मलबा एवं बाहरी पदार्थ तल पर बैठ जायेंगे और सिर्फ साफ जल छिड़काव एवं अन्य कार्यो के लिये उपलब्ध रहेगा।
- खदान में पर्याप्त क्षमता का सम्प बनाया जायेगा, जोकि पानी को बाहर निकालने से पहले मलबा/ओवर बर्डन को तल पे बैठा देगा। नियमित अंतराल पर सम्प की साफ–सफाई भी की जायेगी।

- भू कटाव को रोकने के लिये ओवर बर्डन डम्प के ढलान पर मुख्यतः स्थानीय घास, झाड़ियो एवं पौधों का रोपण किया जायेगा।

27. खदान खुलने से जंगली जानवर विलुप्त हो जायेगें।

उ0 एक विस्तृत वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन योजना तैयार की गई है और EIA रिर्पोट में संलग्नक XII के रूप में संलग्न है। राज्य के कैम्पा अकाउंट में वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के लिये आवश्यक धनराशि जमा कराया जा चुकी है। वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन राज्य के वन विभाग द्वारा किया जायेगा।

28. यह कि क्या माइंस प्रबंधन सरई के पेड़ रोपित करेगा, प्रबंधन द्वारा ऐसे पौधे का रोपड़ किया जाता है, जिससे ग्रामीणों को कोई फायदा नहीं होता। उनके द्वारा रोपित पौधों में मुख्यतः गुलमोहर, करंज, नीम आदि मुख्य है। क्या कंपनी द्वारा सरई, महुआ, कोसम के पौधों का रोपड़ किया जायेगा।

उ0 खदान क्षेत्र में खनन के उपरांत बेक फिलिंग करके वन विभाग एवं स्थानीय निवासियों के परामर्श से स्थानीय एवं उपयोगी वनस्पतियों का रोपण किया जायेगा, जिससे ग्रामिणों को लाभ होगा।

29. यह कि कोयला खदान खुलने से आसपास के क्षेत्र में कोलडस्ट के दुष्प्रभाव होगें जिससे पर्यावरण को क्षति होगी।

उ0 **कोल डस्ट के दुष्प्रभाव को राकने के उपायः**

- वाटर टैंकर एवं स्प्रींकलर के माध्यम से डस्ट को नियंत्रण किया जायेगा।
- हॉल रोड़ पर ट्रैफिक की वजह से उत्पन्न डस्ट को नियमित अन्तराल पर जल छिड़काव के द्वारा नियन्त्रण किया जायेगा।
- हॉल रोड़ एवं ओवरबर्डन डम्प के साथ में ग्रीन बेल्ट डेवलपमेन्ट किया जायेगा।

- प्रदूषण नियन्त्रण के लिये भारी मशीनो का उचित रखरखाव एवं साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
- कोयला परिवहन करने वाले वाहनो को तारपोलिन से ढका जायेगा।

30. यह कि चोटिया खदान के लिये अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा दिलवाने के लिये अंदोलन करना पड़ा तो क्या प्रस्तावित खदान के ग्रामीणों का मुआवजा सही समय पर मिलेगा। चोटिया खदान संचालन हेतु हजारों लाखों वृक्षों को प्रबंधन द्वारा बिना परमिशन के काट दिये गये।

उ0 यह पूरा क्षेत्र वन भूमि है जिसके लिये पहले से ही वन अनुमति प्राप्त कर लिया गया है एवं भूमि का व्यपवर्तन बालको को किया गया है। खदान 1 अप्रेल 2015 से बालको को सुपुर्द कर दिया गया है। इसके बाद बालको द्वारा वन कटाई नहीं की गयी है।

31. यह कि आदिवासियों को सबसे ज्यादा पैसा वन औषधि से प्राप्त होते है। वन नहीं रहेंगे तो आदिवासी कहॉ जायेगे।

उ0 ओपन कास्ट खनन कुल पट्टा क्षेत्र 316.826 हेक्टेयर में से 91.16 हेक्टेयर के क्षेत्र में 6 वर्षों के लिये किया जायेगा। खदान क्षेत्र में खनन के उपरांत बेक फिलिंग करके वन विभाग एवं स्थानीय निवासियों के परामर्श से स्थानीय एवं उपयोगी वनस्पतियों का रोपण किया जायेगा, जिससे ग्रामिणों को लाभ होगा।

32. कंपनी प्रभावित ग्रामीणों को बसाहट और पट्टा की व्यवस्था क्या करेगी।

उ0 परियोजना का पूरा क्षेत्र वन भूमि है और एनपीवीए, सीए, आदि से संबंधित पूरी राशि छ.ग. राज्य कैम्पा अकाउंट में पहले ही जमा करायी जा चूकी है। हालांकि भविष्य में यदि कोई भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता हुई तो मुआवजे का भुगतान जिला प्रशासन के परामर्श से किया जायेगा और मौजूदा कानून के मुताबिक होगा।

33. चोटिया खदान में कितने ग्रामीणों को रोजगार मिला है एवं अन्य कितनों को और रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

उ0 विभिन्न कौशल एवं श्रेणी के 120 से अधिक स्थानीय ग्रामीणों को बालको में प्रत्यक्ष रोजगार दिया गया है, इसके अलावा 600 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार भी उपलब्ध कराया जायेगा।स्थानीय ग्रामीणों को शिक्षा, कौशल, पात्रता एवं परियोजना की आवश्यकता के आधार पर रोजगार में वरीयता दी जायेगी।

34. यह कि कंपनी जमीन के बदले जमीन ग्रामीणों को दे।

उ0 परियोजना का पूरा क्षेत्र वन भूमि है और एनपीवीए, सीए, आदि से संबंधित पूरी राशि छ.ग. राज्य कैम्पा अकाउंट में पहले ही जमा करायी जा चूकी है। हालांकि भविष्य में यदि कोई भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता हुई तो मुआवजे का भुगतान जिला प्रशासन के परामर्श से किया जायेगा और मौजूदा कानून के मुताबिक होगा।

35. कंपनी प्रबंधन क्या ग्राम चोटिया एवं प्रभावित क्षेत्र के लिए 100 बिस्तर युक्त अस्पताल का निर्माण करेगा।

उ0 चोटिया में बालको के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित किया जा रहा है। सभी स्थानीय ग्रामीणों को निःशुल्क सुविधाएँ दी जा रही है। 24 घण्टे निःशुल्क एल्बुलेन्स सुविधा भी प्रदान की गयी है।

36. प्रभावित स्थल पर जो पूर्व से अस्पताल संचालित है उसमें एक भी डॉक्टर, कंपाउन्डर नहीं है।

उ0 चोटिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। प्रभावित व्यक्तियों के लिये जरूरी एवं उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा।

37. यह कि कंपनी द्वारा बेजा कब्जा वालों को भी बसाहट देना होगा।

उ0 मौजूदा सरकार के नियम एवं विनियमों के आधार पर बेजा कब्जा का निपटारा किया जायेगा।

38. यह कि बालको प्रबंधन द्वारा चोटिया खदान के आस–पास कितने नग पौधों का रोपड़ किया गया है।

उ0 चोटिया–1 खदान में पिछले तीन वर्षो में कुल 45,000 पौधों का रोपण बैकफिल क्षेत्र में किया गया है। चोटिया–2 खदान में 2,500 पौधों का रोपण सुरक्षा क्षेत्र में किया गया है।

39. प्रबंधन द्वारा जंगली प्रजाति का पौधा रोपित किया जावे, जिससे आसपास के ग्रामीणों को आमदनी हो सके।

उ0 खदान क्षेत्र में खनन के उपरांत बेक फिलिंग करके वन विभाग, स्थानीय निवासियों के परामर्श से स्थानीय एवं उपयोगी वनस्पतियों का रोपण किया जायेगा। क्षेत्र में कई अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावनाएँ भी उत्पन्न होगी। यह कई परिवारों को रोजगार प्रदान करेगा जैसे–दुकान, डेयरी, मुर्गी पालन और सेवा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियॉ। इस तरह से क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक दशा में सुधार होगा।

40. यह कि चोटिया से मातिनदाई मंदिर चौक तक पक्की रोड का निर्माण किया जाये। रोड कच्ची होने के कारण धूल डस्ट उड़ करके आसपास के क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है।

उ0 मातिन दाई मंदिर से ग्राम सलाईगोट को जोड़ने वाली फारेस्ट सड़क का निर्माण/सुढ़ृडीकरण किया जायेगा।

**डस्ट उत्सर्जन के दुष्प्रभाव को राकने के उपाय :**

- वाटर टैंकर एवं स्प्रींकलर के माध्यम से डस्ट को नियंत्रण किया जायेगा। प्रदूषण नियन्त्रण के लिये भारी मशीनो का उचित रखरखाव एवं साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
- कोयला परिवहन करने वाले वाहनो को तारपोलिन से ढका जायेगा।

श्री अफरोज अली, प्रमुख कोल माईन्स, मेसर्स भारत एल्युमिनियम कं. लि. द्वारा ग्राम–सलाईगोट, तहसील–पोड़ी उपरोड़ा, जिला–कोरबा के द्वारा यह भी बताया गया कि प्राप्त चिंताओं/सुझाव/ विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों पर समाधानकारक कार्यवाही करते हुए वर्तमान में बनाये गए प्रारूप ई.आई.ए. रिपोर्ट में समाहित किया जाकर अंतिम ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाकर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाहियों की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराते हुए निर्धारित समयानुसार लोक सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण की गई।

लोक सुनवाई के पूर्व 63 एवं लोक सुनवाई के दौरान 07 कुल 70 लिखित में चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां तथा लोक सुनवाई के दौरान... 170 व्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों का अभिलिखित पत्रक, लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का उपस्थित पत्रक, विडियो सी.डी. एवं फोटोग्राफ्स के साथ लोक सुनवाई कार्यवाही संलग्न कर विवरण सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा

क्षेत्रीय कार्यालय
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
रायपुर, कोरबा (छ.ग.)

अपर कलेक्टर,
कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.)

अपर कलेक्टर,
कोरबा (छत्तीसगढ़)